

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्र.क.क्रमांक :- 21/2014)

(संस्थित दिनांक :- 13/01/14)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. प्रदीप जाटव पुत्र जगदीश जाटव उम्र 26 वर्ष
02. शिव सिंह उर्फ सुघर सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाटव उम्र 31 वर्ष
निवासीगण :- ग्राम हरनामपुरा, थाना :- मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)

..... अभियुक्तगण।

// निर्णय //

(आज दिनांक : 17/02/2017 को घोषित)

01. अभियुक्तगण प्रदीप एवं शिव सिंह उर्फ सुघर सिंह पर भा.द.सं. की धारा 294, 341, 323/34 एवं 506 भाग।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :- 06/01/2014 की दोपहर लगभग 02:30 बजे हरनामपुरा के पास, जो कि एक लोकस्थान है, पर फरियादी भगवान सिंह को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, फरियादी भगवान सिंह को उस दिशा में जाने से रोककर जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार था, सदोष अवरोध कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी भगवान सिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण ने उसकी थप्पड़ों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी भगवान सिंह को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर, आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 06/01/2014 की दोपहर लगभग 02:30 बजे हरनामपुरा के पास, आरोपीगण द्वारा फरियादी भगवान सिंह का रास्ता रोककर उससे गाली-गलौच करने, उसकी थप्पड़ों से मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी भगवान सिंह द्वारा उसी दिनांक 06/01/2014 को शाम 06:05 बजे थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 06/2014 अन्तर्गत धारा 294, 341, 323 एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। फरियादी भगवान सिंह, साक्षीगण गजेन्द्र सिंह, रघुवीर, एवं लोंगाबाई के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर

अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 341, 323/34 एवं 506 भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :-

01. क्या आरोपीगण ने दिनांक :- 06/01/2014 की दोपहर लगभग 02:30 बजे हरनामपुरा के पास, जो कि एक लोकस्थान है, फरियादी भगवान सिंह को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया?

02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी भगवान सिंह को उस दिशा में जाने से रोककर जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार था, सदोष अवरोध कारित किया?

03. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी भगवान सिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण ने उसकी थप्पड़ों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की?

04. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी भगवान सिंह को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर, आपराधिक अभित्रास कारित किया?

05. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01 लगायत 04

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी भगवान सिंह अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना दिनांक : 06/01/2014 के करीबन दोपहर

02:30 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि वह अपने घर से हार के लिए जा रहा था, जैसे ही वह गांव के बाहर निकला तो आरोपी प्रदीप एवं सुघर सिंह ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे मादरचोद-बहनचोद की गालियाँ दी और बोले कि तू मेरी शिकायत करता है। तब साक्षी ने कहा कि मैं कहाँ शिकायत करता हूँ, इसके बाद आरोपी प्रदीप एवं सुघर सिंह ने उसे मुँह में चाटे मारे और उसका हाथ पकड़कर पटक दिया। साक्षी आगे कहता है कि उसे बचाने उसकी पत्नी लोंगाबाई, गजेन्द्र एवं रघुवीर आ गये। साक्षी आगे कहता है कि उसकी पत्नी लोंगा उसे बचाने गई तो उसकी पत्नी के कान का बाला एवं उसके 3000/- रुपये कहीं गिर गये थे। इसके बाद आरोपीगण जाते समय बोले की आज तो बच गया, आइंदा जान से खत्म कर देंगे। उसने घटना की रिपोर्ट थाना मौ में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने इस संबंध में घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में फरियादी भगवान सिंह अ.सा.01 का कहना है कि घटना दिनांक को वह दोपहर ढाई बजे घर से अकेला निकला था और ढाई बजे ही घटनास्थल पर पहुँच गया था। मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में भगवान सिंह अ.सा.01 का कहना है कि वह घटना के समय अपने घर से हार अर्थात् खेत के लिए जा रहा था और जैसे ही गांव से बाहर निकला, तो दोपहर 02:30 बजे उसे आरोपीगण ने उसका रास्ता रोक लिया। यह संभव प्रतीत नहीं होता है कि फरियादी ढाई बजे अपने घर से निकले और ढाई बजे ही गांव के बाहर घटनास्थल पर पहुँच जाये। इसी प्रकार प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में भगवान सिंह अ.सा.01 का कहना है कि घटना के समय वह घर से अकेला निकला था, जबकि उसकी पत्नी लोंगाबाई अ.सा.02 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में कहना है कि वह अपने पति अर्थात् भगवान सिंह अ.सा.01 के साथ घर से हार के लिए निकली थी। इस प्रकार भगवान सिंह अ.सा.01 हार के लिए अकेला निकला था, अथवा अपनी पत्नी लोंगाबाई के साथ निकला था, इस वावत् भगवान सिंह अ.सा.01 एवं लोंगाबाई अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य विरोधाभाष है।

10. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में भगवान सिंह अ.सा.01 का कहना है कि उसकी पत्नी लोंगाबाई घटना के थोड़ी देर बाद घटनास्थल पर आ गई थी। साक्षी फिर कहता है कि दस मिनट बाद आ गई थी और तत्पश्चात् साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसकी पत्नी लोंगाबाई, साक्षी गजेन्द्र एवं रघुवीर घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, बाद में आये थे। जबकि फरियादी भगवान सिंह की पत्नी लोंगाबाई अ.सा.02 ने प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह घटना के समय घटनास्थल पर नहीं थी। इस प्रकार फरियादी भगवान सिंह अ.सा.01 की पत्नी लोंगाबाई अ.सा.02 आरोपित घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद थी, अथवा नहीं, इस वावत् फरियादी भगवान सिंह अ.सा.01 एवं उसकी पत्नी लोंगाबाई अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभाष है और उक्त विरोधाभाष से यह प्रकट

होता है कि संभवतः लौंगाबाई आरोपित घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी और वह बाद में घटनास्थल पर पहुँची थी। इस प्रकार लौंगाबाई अ.सा.02 घटना की चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर मात्र एक अनुश्रुत साक्षी होना दर्शित होती है।

11. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में भगवान सिंह अ.सा.01 का कहना है कि उसने घटना के दस-पन्द्रह दिन पहले आरोपीगण की एक अन्य घटना के संबंध में पुलिस में शिकायत की थी। साक्षी आगे कहता है कि आरोपीगण उससे झगड़ा करते रहते थे, जिसकी उसके द्वारा शिकायत की गई थी। तर्क के दौरान आरोपी अधिवक्ता श्री त्रिवेदिया का कहना है कि फरियादी भगवान सिंह को आरोपीगण की निरन्तर असत्य शिकायतें पुलिस में करते रहने की आदत है और हस्तगत प्रकरण में भी फरियादी द्वारा आरोपीगण की रंजिशवश असत्य शिकायत की गई है। उल्लेखनीय है कि रंजिश एक ऐसा तथ्य है जिसकी वजह से यदि आरोपीगण द्वारा फरियादी की मारपीट किया जाना संभव है तो साथ ही यह भी उतना ही संभव है कि फरियादी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध मारपीट की असत्य रिपोर्ट की जाये।

12. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में भगवान सिंह अ.सा.01 का कहना है कि घटना घटित होने के बाद सबसे पहले वह अपने घर गया था। तत्पश्चात् घटना के चार-पाँच घण्टे बाद रिपोर्ट करने गया था। साक्षी आगे कहता है कि वह चौकी झॉकरी शाम 06 से 06:30 बजे के बीच पहुँच गया था। लेकिन चौकी झॉकरी पर उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, चौकी झॉकरी के पुलिस वालों ने उसे थाना मौ भेज दिया था। साक्षी आगे कहता है कि वह घटना के दूसरे दिन सुबह 07 बजे थाना मौ पहुँचा था और उसके द्वारा रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई थी। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक प्रधान आरक्षक निहाल सिंह अ.सा.07 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 06/01/2014 को थाना मौ में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था और उसी दिनांक को शाम लगभग 06-07 बजे फरियादी भगवान सिंह पुत्र पातीराम निवासी हरनामपुरा, आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट करने थाने पर आ गया था और उसके द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध कराई गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना दिनांक : 06/01/2014 को ही शाम 06:05 बजे थाना मौ में लेखबद्ध की गई है, ना कि दिनांक : 07/01/2014 को सुबह 07:00 बजे। इस प्रकार फरियादी भगवान सिंह अ.सा.01 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक : 06/01/2014 को लेखबद्ध कराई गई, अथवा दिनांक : 07/01/2014 को सुबह 07:00 बजे लेखबद्ध कराई गई, इस वावत् फरियादी भगवान सिंह अ.सा.01, प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक निहाल सिंह अ.सा.07 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है। जिससे फरियादी भगवान सिंह अ.सा.01 का इस वावत् न्यायालयीन अभिसाक्ष्य सत्य प्रतीत नहीं होता है और वह सत्य के प्रति आस्थावान साक्षी होना दर्शित नहीं होता है।

13. भगवान सिंह अ.सा.01 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में कहना है कि घटना की रिपोर्ट करने वह थाना मौ अकेले गया था। जबकि भगवान सिंह अ.सा.

01 की पत्नी लौंगाबाई अ.सा.02 का उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि वह उसके पति के साथ रिपोर्ट करने गई थी। इस प्रकार उक्त तथ्य के संबंध में भगवान सिंह अ.सा.01 एवं लौंगाबाई अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य विरोधाभाष है। इसी प्रकार फरियादी भगवान सिंह अ.सा.01 घटना के दूसरे दिन सुबह 07 बजे थाना मौ में अकेले जाकर घटना की रिपोर्ट करना बताता है। जबकि प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में उसकी पत्नी लौंगाबाई अ.सा.02 घटना के दस-पन्द्रह मिनट बाद स्वयं के द्वारा घटना की रिपोर्ट करने दोपहर 03:00 बजे थाने जाना दर्शित करती है। इस प्रकार घटना की रिपोर्ट फरियादी भगवान सिंह अ.सा.01 या लौंगाबाई अ.सा.02 में से किसके द्वारा, किस समय एवं किस दिनांक को की गई, इस वावत् भगवान सिंह अ.सा.01 एवं लौंगाबाई अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभाष है।

14. साक्षी रघुवीर अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण दिलीप एवं शिव सिंह को जानता है। घटना दिनांक : 06/01/2014 की दोपहर ढाई बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि वह गजेन्द्र सिंह के साथ अपने खेत के लिए जा रहा था, उसके पीछे भगवान सिंह एवं लौंगाबाई थे। तभी रमेश जाटव के घर के आगे प्रदीप एवं शिव बैठे थे। तभी उसके पीछे-पीछे आ रहे भगवान सिंह एवं लौंगाबाई को प्रदीप एवं शिव सिंह ने रोका और बोला कि मादरचोद तू कहीं जा रहा है, तो भगवान सिंह एवं उसकी पत्नी ने कहा कि तू गाली क्यों बोल रहा है। तभी आरोपीगण प्रदीप एवं शिव सिंह भगवान सिंह को पकड़ लिया और आरोपीगण ने भगवान सिंह को चाटा मारा। वह एवं गजेन्द्र झगड़ा सुनकर आये और बीच-बचाव कराया और लौंगा बाई ने भी बीच-बचाव कराया। भगवान सिंह के जेब से झगड़े के दौरान 3000/- रुपये एवं लौंगाबाई का बाला गिर गया था।

15. रघुवीर अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के अनुसार रघुवीर अ.सा.03 स्वयं को घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना दर्शित कर रहा है। जबकि फरियादी भगवान सिंह अ.सा.01 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में यह दर्शित किया है कि साक्षी गजेन्द्र एवं रघुवीर घटना के समय घटनास्थल पर नहीं थे, बाद में आये थे। इसी प्रकार फरियादी भगवान सिंह की पत्नी लौंगाबाई अ.सा.02 ने भी प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में यह दर्शित किया है कि गजेन्द्र एवं रघुवीर झगड़ा हो जाने के बाद आये थे। इस प्रकार आरोपित घटना के समय साक्षी रघुवीर अ.सा.03 घटनास्थल पर मौजूद था, अथवा नहीं। इस वावत् फरियादी भगवान सिंह अ.सा.01, उसकी पत्नी लौंगाबाई अ.सा.02 एवं साक्षी रघुवीर अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभाष है और उपरोक्त विवेचना से यह प्रकट होता है कि साक्षी रघुवीर अ.सा.03 घटना का चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर अनुश्रुत साक्षी मात्र है। जिसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

16. साक्षी गजेन्द्र अ.सा.06 जो कथित रूप से घटना के चक्षुदर्शी साक्षी है, ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन कथा का समर्थन नहीं लिया है। फलतः इस साक्षी के साक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को

प्रदान नहीं किया जा सकता।

17. अभियोजन साक्षी डॉ. आर.विमलेश अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 06/01/2014 को डॉ. हरीश हासवानी के साथ सीएचसी मौ में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को सैनिक क्रमांक 750 गजेन्द्र सिंह द्वारा लाये जाने पर आहत भगवान सिंह का चिकित्सीय परीक्षण करने पर डॉ.हरीश हासवानी को आहत ने उसके बाई ओर सिर में तथा दोनों पसलियों में निचले हिस्से एवं दाये हाथ के अगले हिस्से में दर्द एवं सूजन होना बताया था। साक्षी आगे कहता है कि आहत को आई उक्त चोट किसी सख्त एवं भौथरी वस्तु से डॉ.हरीश हासवानी द्वारा किये गये परीक्षण के एक सप्ताह के अन्दर आना प्रतीत होकर साधारण प्रकृति की थी। इस वावत् डॉ.हरीश हासवानी द्वारा दी गई मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर डॉ.हरीश हासवानी के हस्ताक्षर हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि उसने डॉ.हासवानी के साथ कार्य किया है, इसलिए वह उनके हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि को पहचानता है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में डॉ. आर. विमलेश अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आहत भगवान सिंह को आई चोट परीक्षण के 24 घण्टे के अन्दर की नहीं है और साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि आहत को आई चोट परीक्षण के एक सप्ताह पूर्व की है। डॉ.हरीश हासवानी द्वारा तैयार की गई फरियादी भगवान सिंह अ.सा.01 की मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.05 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि डॉ.हासवानी के अनुसार उनके द्वारा परीक्षित आहत भगवान सिंह को जो भी चोटें आई थी वह साधारण प्रकृति की और परीक्षण के एक सप्ताह के अन्दर की थी। उल्लेखनीय है कि डॉ.हरीश हासवानी द्वारा आहत भगवान सिंह का चिकित्सीय परीक्षण घटना दिनांक : 06/01/2014 को शाम 06:00 बजे घटना के लगभग 03:30 घण्टे पश्चात् किया गया है। यदि घटना दिनांक : 06/01/2014 की दोपहर लगभग ढाई बजे की होती तो डॉ.हरीश हासवानी उनके द्वारा तैयार की गई मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.05 में चोटों की अवधि अधिकतम उनके परीक्षण से 12 या 24 घण्टे के अन्दर दर्शित करते, ना कि परीक्षण के एक सप्ताह के अन्दर आना। इस प्रकार डॉ.हरीश हासवानी द्वारा किये गये आहत भगवान सिंह के चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में उनके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.05 के संबंध में डॉ.आर.विमलेश अ.सा.05 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरान्त भी पूर्णतः अखण्डित रहा है। डॉ.आर.विमलेश अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि डॉ.हरीश हासवानी द्वारा दी गई मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.05 के तथ्यों से हो रही है। और उक्त चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.05 के तथ्यों कि विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि आहत भगवान सिंह अ.सा.01 को दिनांक : 06/01/2014 को दोपहर लगभग ढाई बजे चोटें कारित नहीं हुई थी।

18. उल्लेखनीय है कि जब एक मात्र अभियोजन साक्षी के साक्ष्य पर अभियोजन कथा को प्रमाणित किया जाना निर्भर हो तो ऐसे अभियोजन साक्षी का साक्ष्य संदेह से परे एवं विसंगति रहित होना चाहिए। जबकि हस्तगत प्रकरण में फरियादी भगवान सिंह अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य विसंगतियों से परिपूर्ण है। फलतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित

करने में असफल रहा है कि आरोपीगण प्रदीप एवं शिव सिंह उर्फ सुघर सिंह ने दिनांक :- 06/01/2014 की दोपहर लगभग 02:30 बजे हरनामपुरा के पास, जो कि एक लोकस्थान है, पर फरियादी भगवान सिंह को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, फरियादी भगवान सिंह को उस दिशा में जाने से रोककर जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार था, सदोष अवरोध कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी भगवान सिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण ने उसकी थप्पड़ों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी भगवान सिंह को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर, आपराधिक अभित्रास कारित किया।

अंतिम निष्कर्ष

19. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपीगण प्रदीप एवं शिव सिंह के विरुद्ध धारा 294, 341, 323/34 एवं 506 भाग II भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण को धारा 294, 341, 323/34 एवं 506 भाग II भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

20. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद